छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़,
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 75/2006</u>

श्री पदमचंद नाहटा, ... आवेदक
एल.आई.जी. 80,
सेक्टर–2, शंकरनगर,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी प्रमुख . . . . . अनावेदक
अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(29 मई 2006)

आवेदक श्री पदमचंद नाहटा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत दिनांक 16–12–2005 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग से कुछ जानकारी चाही। उक्त जानकारी में चाहा गया कि ऐसी नोटशीट एवं आदेश की प्रतिलिपियाँ प्रदान किया जावे, जिसके आधार पर प्रमुख अभियंता को दिनांक 8–8–2005 का प्रपत्र प्रस्तुत किया गया तथा यह अनुशंसा की गई कि छत्तीसगढ़ में 80X100 का डामर इस्तेमाल किया जा सकता है। सूचना अधिकारी के द्वारा दिनांक 17–01–2006 को आवेदक को जानकारी दी गई, जिसमें आवेदक के द्वारा चाहे गये क्रमांक–1 की जानकारी नस्ती में उपलब्ध होना नहीं बतलाया गया। क्रमांक–5 की जानकारी संबंधित कार्यपालन अभियंताओं से प्राप्त करने हेतु आवेदक को सूचित किया गया। आवेदक ने इसके विरूद्ध शिकायत की है कि पूर्ण जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदक के आवेदन पर विचार कर अनावेदक को नोटिस दिया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 18–04–2006 के अनुसार आयोग को सूचित किया कि प्रथम बिन्दु की जानकारी पूर्व में नस्ती में उपलब्ध नहीं थी। उक्त जानकारी आवेदक को उनके अन्य आवेदन पत्र क्रमांक–47 दिनांक 22–01–2006 के निराकरण के समय अन्य खण्ड में उपलब्ध होने के कारण उपलब्ध करा दी गई है। इस आयोग के द्वारा 10,000/– रूपए की शास्ति जन सूचना अधिकारी को क्यों न आरोपित किया जावे, इसका कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

आवेदक एवं जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तर्कों को सुना गया। आवेदक ने यह बतलाया कि जानबूझकर उसे पूर्व में जानकारी नहीं दी गई तथा बाद में जानकारी दी गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किये गये। अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को अपील नहीं की थी तथा

अपील निरस्त की गई। अपील आदेश में उल्लेख किया गया कि जो जानकारी कार्यपालन अभियंताओं के पास उपलब्ध है उनके कार्यालय में संबंधित सूचना अधिकारियों को आवेदन देकर ले सकते हैं। आवेदक को यह भी अवसर दिया गया कि वे 01 घंटे तक निःशुल्क अभिलेखों का अवलोकन कर सकते हैं, किन्तु आवेदक ने इसका लाभ नहीं लिया। आवेदक को जानकारी उपलब्ध करा दी गई है।

अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझकर जानकारी प्रदान नहीं करने का कोई प्रमाण नहीं है। सूचना अधिकारी ने स्वयं ही यह स्वीकार किया है कि एक अन्य प्रकरण में, जिसमें से आवेदक को जानकारी दी गई, उसकी जानकारी अन्य खण्ड में होने से पूर्व में नहीं दी गई थी। बाद में प्राप्त होने पर दी गई। चूंकि आवेदक को जानकारी दी जा चुकी है और कोई तथ्य ऐसा नहीं है, जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझक विलम्ब किया गया। अतः सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। आवेदक को सूचना प्राप्त हो गई है। प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त